फा.स. 2/उत्तर प्रदेश/2015-बी.पी.-3
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक:31 मई, 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

विषय: राशन दूकानदारों को माह मई, 2016 और जून, 2016 का गेहूं राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार दिलाने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक PMOPG/D/2016/0124028 दिनांक 12.05.16 द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को प्रेषित श्री हाजी मसीमुद्दीन खान वारसी के दिनांक 06.05.2016 (प्रति संलग्न) को दायर याचिका का संदर्भ ग्रहण करे जिसमे याचिकाकर्ता ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि कानपुर नगर के राशन दुकानदारों को माह मई, 2016 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का गेहूं लगभग 60 प्रतिशत दुकानदारों को एफ.सी.आई तथा आर.एफ.सी के अव्यवस्थाओं के कारण नहीं मिला है। इस विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को NFSA के अंतर्गत मार्च, 2016 से आगे के लिए खाद्यान्न आबंटित कर दिया है। राज्य सरकार यह सुनिशित करे कि वे अनाज का उठान इस विभाग के पत्र संख्या 1-2/2007 दिनांक 11.07.2014 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करें और उसका वितरण NFSA के लाभार्थियों को समय से करें। यदि FCI के किसी गोदाम में अनाज की कमी हो तो उसे CMD, FCI को तथा इस विभाग को सूचित करें ताकि यह विभाग आवश्यक कार्यवाही कर के FCI के संबन्धित गोदामों में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें।

भवदीय,

संलग्न: उपर्युक्त अनुसार।

संदीप सक्सेना

(संदीप सक्सेना)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. श्री हाजी मसीमुद्दीन खान वारसी के दिनांक 06.05.2016 को दायर की गई याचिका के संदर्भ में।
2. श्री वी.बी.हरिहरन, अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली -110011
3. NIC प्रभाग, यह जवाब इस विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।